रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23042024-253829
CG-MH-E-23042024-253829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2024/वैशाख 3, 1946
No. 274] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 3, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 19 अप्रैल , 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024

अधिसूचना संख्या फेमा.10आर (3)/2024-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या FEMA10(R)/2015-RB, दिनांक 21 जनवरी, 2016) (जिसे इसके बाद मूल विनियमावली कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली के विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली के विनियम 5 के उप-विनियम (एफ)(1) में, मौजूदा प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"यदि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआर) अथवा भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सीधे सूचीबद्ध करते हुए संसाधन जुटाने के संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन किया गया हो तो, इस प्रकार जुटाई गई धनराशियों को जब तक उपयोग में नहीं लाया जाता या उन्हें भारत में प्रत्यायोजित नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें भारत के बाहर स्थित किसी बैंक के विदेशी मुद्रा खाते में धारित किया जा सकता है।"

लता राधाकृष्णन, प्रभारी महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./043/2024-25]

फुट नोट:

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र-असाधारण-भाग-II, खंड 3 के उप-खंड (i) में दिनांक 21.01.2016 के जी.एस.आर.सं.96(ई) के माध्यम से प्रकाशित की गयी थी और तदुपरांत इसका संशोधन निम्नानुसार किया गया-

जी.एस.आर.सं.570(ई), दिनांक 01.06.2016

जी.एस.आर.सं.160(ई), दिनांक 27.02.2019

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th April, 2024

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2024

Notification No. FEMA. 10R(3)/2024-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA10(R)/2015-RB dated January 21, 2016) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2024.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations

In sub-regulation (F)(1) of Regulation 5 of the Principal Regulations, the existing provision shall be substituted by the following, namely:

"Subject to compliance with the conditions in regard to raising of External Commercial Borrowings (ECB) or raising of resources through American Depository Receipts (ADRs) or Global Depository Receipts (GDRs) or through direct listing of equity shares of companies incorporated in India on International Exchanges, the funds so raised may, pending their utilisation or repatriation to India, be held in foreign currency accounts with a bank outside India."

LATHA RADHAKRISHNAN, General Manager-in-Charge

[ADVT.-III/4/Exty./043/2024-25]

Foot Note :

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India - Extraordinary - Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21.01.2016 - G.S.R.No.96(E) and subsequently amended as under
G.S.R. No.570(E) dated 01.06.2016
G.S.R. No.160(E) dated 27.02.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.23 22:33:56 +05'30'